



दिनांक 04.03.2024

प्रेस विज्ञप्ति 04 / 2024

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद अयोध्या/थाना कैन्ट

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त

### गिरफ्तार

- 01 मोटर साइकिल

- 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 04.03.2024 को थाना कैन्ट व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गददौपुर पेशकार का पुरवा नहर पुल के पास पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त रितेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैण्ट पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैन्ट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—रितेश निवासी खोजनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

### बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस।

~ 2 ~  
जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

**• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.03.2024 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टेशन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खोराबार पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—विकाश निवासी डबुआ कॉलोनी एनआईटी फरीदाबाद थाना डबुआ जनपद फरीदाबाद।

जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर

**• पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित  
03 अभियुक्त गिरफ्तार**

**• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक: 03.03.2024 की रात्रि को थाना मल्हीपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ककरदरी जंगल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—चोरे उर्फ मुंशरीफ घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—अब्दुल रहमान 3—ओझे उर्फ अहमद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद श्रावस्ती से वांछित चल रहे थे, जिसमें अभियुक्त चोरे उर्फ मुंशरीफ की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मल्हीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—चोरे उर्फ मुंशरीफ निवासी लक्ष्मणपुर कोठी थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।

2—अब्दुल रहमान निवासी लक्ष्मणपुर कोठी थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।

3—ओझे उर्फ अहमद निवासी लक्ष्मणपुर कोठी थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।

### बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

### जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पड़रौना

- चोरी की घटना का अनावरण
  - 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 26 लाख 50 हजार रुपये कीमत की चोरी की सोने—चॉदी के आभूषण
  - 01 लाख रुपये नगद
  - 01 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनांक: 03.03.2024 को थाना कोतवाली पड़रौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार कब्रिस्तान बेलवा चुंगी के पास से अभियुक्त अमित को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 26 लाख 50 हजार रुपये कीमत की चोरी की सोने—चॉदी के आभूषण, 01 लाख रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली पड़रौना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पड़रौना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पड़रौना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमित निवासी इन्दिरानगर पड़रौना थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर।

### बरामदगी

1—लगभग 26 लाख 50 हजार रुपये कीमत की चोरी की सोने—चॉदी के आभूषण।

2—01 लाख रुपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन आदि।

### जनपद खीरी/थाना धौरहरा

- अवैध शस्त्र फैकट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
  - 62 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
    - 55 अवैध नाल विभिन्न बोर
    - 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर

दिनांक: 03.03.2024 को थाना धौरहरा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खगियापुर नदी के किनारे खाली जमीन में पड़े छप्पर से अवैध शस्त्र फैकट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—किशोरी 2—रफीक उर्फ रम्पत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 62 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 55 अवैध नाल विभिन्न बोर, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—किशोरी निवासी ग्राम खगियापुर थाना धौरहरा जनपद खीरी।

2—रफीक उर्फ रम्पत निवासी ग्राम रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा जनपद खीरी।

## बरामदगी

1–62 निर्मित / अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–55 अवैध नाल विभिन्न बोर।

3–02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

## जनपद इटावा / थाना लवेदी

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- 203 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- 04 मोबाइल फोन
- 02 कार, 01 कंटेनर अशोक लीलैन्ड आदि बरामद

दिनांक 03/04.03.2024 को थाना लवेदी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम विधीपुरा से नवादा के मध्य मन्दिर के पास से 04 अभियुक्तों 1—हिम्मत 2—विनय 3—नन्दकिशोर उर्फ नन्दू 4—मोनू उर्फ राघवेन्द्र उर्फ बजरंगी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 203 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 04 मोबाइल फोन, 02 कार, 01 कंटेनर अशोक लीलैन्ड आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लवेदी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1—हिम्मत निवासी कुम्हारेडी थाना नगर जनपद भरतपुर राजस्थान।

2—विनय निवासी नवादा खुर्द कला थाना लवेदी जनपद इटावा।

3—नन्दकिशोर उर्फ नन्दू निवासी मुरलीपुर थाना भरथना जनपद इटावा।

4—मोनू उर्फ राघवेन्द्र उर्फ बजरंगी निवासी प्रिंस कलोनी उदी मोड थाना बढ़पुरा जनपद

इटावा।

## बरामदगी

- 1–203 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।
- 2–04 मोबाइल फोन।
- 3–02 कार, 01 कंटेनर अशोक लीलैन्ड आदि।

## जनपद हापुड़ / थाना बाबूगढ़

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 11 लाख रुपये कीमत के 150 पेटी अवैध शराब
- 01 कैन्टर वाहन बरामद

दिनांक 04.03.2024 को थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर की पटरी बनखण्डा के पास से 02 अभियुक्तों 1–पिन्टू 2–जोनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख रुपये कीमत के 150 पेटी अवैध शराब, 01 कैन्टर वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

- 1–पिन्टू निवासी जांवा सलौनी थाना सलौनी जनपद पानीपत हरियाणा।
- 2–जोनी निवासी ग्राम खेवडा थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा।

## बरामदगी

- 1–लगभग 11 लाख रुपये कीमत के 150 पेटी अवैध शराब।
- 2–01 कैन्टर वाहन।

➤ कमिशनरेट वाराणसी/थाना कैण्ट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 08 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

कमिशनरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना कैण्ट पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1– नीरज उर्फ

टुनटुन 2—राकेश कुमार उर्फ मोनू 3—संजय 4—शैलेश 5—दीपक उर्फ दीपू 6—दीपक उर्फ मान्या को धारा 147/148/302/149/120बी/307/506 भादवि व 7 सीएलए एकट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 86 हजार 500 रुपये एवं अभियुक्त 7—रवि 8—प्रकाश उर्फ झुन्ना को धारा 147/148/302/149/120बी/307/506 भादवि व 7 सीएलए एकट एवं 3/25 आर्म्स एकट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 96 हजार 500 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ **जनपद फतेहगढ़/थाना शमसाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना शमसाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मिथुन को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ **जनपद सीतापुर/थाना अटरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना अटरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामचरन को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ **जनपद सीतापुर/थाना बिसवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10—10 हजार रुपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना बिसवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एकट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—राकेश 2—राजू को आजीवन कारावास व 10—10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद फतेहगढ़ / थाना मऊदरवाजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मवीर को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद सीतापुर / थाना तम्बौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 12–12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना तम्बौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एकट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अरविन्द 2–अभियुक्ता को 12–12 वर्ष के सश्रम कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस०टी०एफ०–छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं असम राज्य में आयोजित होने वाली एसएससी (जी०डी०) भर्ती में उ०प्र० के अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उन राज्यों के फर्जी आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट एवं वोटर आई०डी० तैयार करने वाले गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 03–03–2024 को एस०टी०एफ० उ०प्र० को छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं असम में आयोजित होने वाली एसएससी (जी०डी०) भर्ती परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त राज्यों के फर्जी आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट एवं वोटर आई०डी० तैयार करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:**

- तरुण पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी विकास कालोनी म०न० 445 थाना गुलावठी, बुलन्दशहर।
- रॉबिन उर्फ रवि पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम बनबोई, थाना गुलावठी, बुलन्दशहर।
- सचिन पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम भटोना, थाना गुलावठी, बुलन्दशहर।

### बदामदगी:-

- 1— 01 अदद लैपटाप।
- 2— 05 अदद मोबाईल फोन।
- 3— 12 अदद आधार कार्ड मूल व छाया प्रति।
- 4— 03 अदद मूल निवास प्रमाण पत्र।
- 5— 06 अदद रजिस्ट्रेशन फार्म।
- 6— 03 अदद मार्कशीट छाया प्रति।
- 7— 01 मार्कशीट बनाने का प्रोफार्म।
- 8— 01 अदद एडमिट कार्ड एससीसी।
- 9— 01 अदद वोटर आईडी0कार्ड बनाने का प्रोफार्म।
- 10— 01 अदद वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति।
- 11— 01 अदद स्विपट कार नं0-डीएल-12सीएन-0670

### गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 03-03-2024 स्थान:-ग्राम मिठठेपुर तिराहे के पास थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर समय: 19.30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत कुछ समय से अन्य प्रदेशों के फर्जी आधार कार्ड एवं फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकड़ियों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0का0 रकम सिंह, हे0का0 प्रदीप धनकड़, हे0का0 आकाशदीप, हे0का0 विनय कुमार एवं हे0का0 भूपेन्द्र सिंह की टीम जनपद बुलन्दशहर क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले गैंग के सदस्यों की तलाश में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग सफेद रंग की

स्विपट कार नं0 डीएल-12सीएन-0670 से गुलावठी क्षेत्र से बुलन्दशहर की ओर जाने वाले हैं, जो विभिन्न राज्यों के फर्जी दस्तावेज बनाते हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर गुलावठी के पास स्विपट कार को रोककर तलाशी ली गयी, तो उसमें उपरोक्त दस्तावेज पाये गये, जिस पर कार सवार तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गिरोह है, जो विभिन्न राज्यों के फर्जी कागजात जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट, वोटर आईडी आदि बनाते हैं तथा मनोज निवासी ग्राम मांगलौर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर व टिंकू से भी बनवाते हैं। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं असम में आयोजित होने वाली एसएससी (जी0डी0) भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवकों को लाभ पहुँचाने हेतु उन राज्यों का फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। इन फर्जी दस्तावेजों के एवज में प्रति लड़के 05 लाख रुपये लेते हैं, जिनमें से 02 लाख रुपये मनोज व टिंकू को देते हैं। शेष पैसा आपस में बॉट लेते हैं। यह लोग छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश व असम आदि में आयोजित होने वाली एसएससी (जी0डी0) की भर्ती परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को उन राज्यों का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर फार्म भरवाकर परीक्षा दिलाते हैं, क्योंकि इन राज्यों में उत्तर प्रदेश की तुलना में कम अंकों पर मेरिट बनती है, जिससे इनको लाभ मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर में मु0अ0सं0 71 / 2024 धारा 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी भादवि पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

---